भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1227

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : नारियल और रबड़ के किसानों को सहायता

1227. श्री एम. के. राघवन:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि नारियल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समय पर उपलब्ध कराया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास नारियल की खेती के कुल क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि रबड़ की खेती घाटे में चल रही है और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि रबड़ किसानों को घाटा न हो; और

(ड.) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र और केरल राज्य सरकार द्वारा रबड़ किसानों को दी गई सहायता से संबंधित आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार ने नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) और राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर 2024 मौसम के लिए उचित औसत गुणवत्ता वाले मिलिंग खोपरा के लिए प्रति क्विंटल 11,160/- रुपये और बॉल खोपरा के लिए प्रति क्विंटल 12,000/- रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है।

एमएसपी पर खरीद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) केंद्रीय नोडल एजेंसियां हैं। जब भी

बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाते है, तब समय-समय पर राज्य सरकारों के प्रस्तावों के आधार पर नेफेड द्वारा एमएसपी पर खरीद की जाती है।

(ख): देश में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए, सी.डी.बी. बोर्ड विभिन्न योजनाओं के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

योजना	
रोपण सामग्री का उत्पादन	**1**. गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण क) डीएसपी फार्म की स्थापना ख) क्षेत्रीय नारियल नर्सरी की स्थापना ग) न्यूक्लियस नारियल बीज उद्यान की स्थापना घ) लघु नारियल नर्सरी की स्थापना
नारियल का उत्पादन और उत्पादकता	**2.** नारियल के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार 3. एकीकृत उत्पादकता सुधार खेती क) प्रदर्शन भूखंडों का निर्माण (एलडीपी) ख) जैविक खाद इकाइयाँ (ओएमयू) 4. नारियल के बगीचे का पुनःरोपण और कायाकल्प
मूल्यवर्धन, विपणन, आदि।	5. नारियल प्रौद्योगिकी मिशन 6. विपणन, मंडी आसूचना सेवाएं, सांख्यिकी एवं निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) का सुदृढ़ीकरण 7. प्रदर्शन/गुणवत्ता नियंत्रण
प्रचार, विस्तार, कौशल विकास	8. सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी
बीमा- पाम्स एंड क्लाइम्बर्स	9. नारियल पाम बीमा योजना 10. केरा सुरक्षा बीमा योजना

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नारियल का क्षेत्रफल एवं उत्पादन सांख्यिकी (द्वितीय अनुमान - 2023-24) के अनुसार, नारियल की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 2328 हजार हेक्टेयर और 15368 हजार मीट्रिक टन है।

(घ): अनुशंसित कृषि पद्धतियों को अपनाने वाले प्राकृतिक रबर उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए व्यय की तुलना में पर्याप्त कीमत मिल रही है। हाल ही में, देश में घरेलू प्राकृतिक रबर की कीमतों में वृद्धि हुई है और जून, 2024 के दौरान केरल में आरएसएस4 ग्रेड प्राकृतिक रबर की मासिक औसत कीमत प्रति किलोग्राम 200.67 रुपये थी।

चूंकि घरेलू प्राकृतिक रबर की कीमत अत्यधिक संवेदनशील है और प्राकृतिक रबर की प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी हुई है, इसलिए सरकार समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती रही है कि घरेलू किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले।

(ड.): पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा रबर बोर्ड और केरल सरकार द्वारा रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजना (आरपीआईएस) के माध्यम से रबर की खेती करने वाले किसानों को दी गई सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**रबर बोर्ड, भारत सरकार से सहायता धनराशि (करोड़ रुपए में)**	**केरल सरकार से सहायता धनराशि (करोड़ रुपए में)**
2019-20	11.06	209.47
2020-21	20.41	35.95
2021-22	21.84	2.16
2022-23	45.37	214.11
2023-24	36.04	25.89

*****